फैक्स

अतिमहत्वपूर्ण

# राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
## किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : विप0–1/विनिए/01/90/2011– 1457 दिनांकः 18·6· 2011

समस्त उप निदेशक(प्रशासन/विपणन)
मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

मा0 संचालक मण्डल की 137वीं बैठक दिनांक 08.12.2010 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित कृषि उत्पादों को धारा–4(क) एवं 8(1)(क) के अन्तर्गत निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की सूची में सम्मिलित कराने के सम्बन्ध में शासन से अधिसूचना निर्गत कराने का अनुरोध किया गया था:–

1. जीरा 2. सौंफ 3. (लोबिया हरी) 4. जिमीकन्द 5. सिंघाडा 6. चिकोरी, 7. सुपारी 8. किन्नू, 9. कुन्दरू एव 10. ब्रोकली ।

विषय सन्दर्भ में शासन द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि उक्त उत्पादों की सम्भावित वार्षिक आवक क्या है? तथा उससे होने वाली सम्भावित आय क्या होगी? अतः आपसे अपेक्षित है कि शासन द्वारा उक्त वांछित सूचना अपने सम्भाग की मण्डी समितियों से दूरभाष पर सूचना/आंकड़े प्राप्त कर सम्भाग की संकलित सूचना तत्काल फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

राजीव

( राजीव श्रीवास्तव )
उप निदेशक(प्रशासन/विपणन)

उत्तर प्रदेश सरकार
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग – 1
संख्याः 757/80–1–2011–600(6)/2011
लखनऊ दिनांक 06/09 2011

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–25, सन् 1964) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि कोंच मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में नीचे सारणी में दिये गये कृषि उत्पादों के थोक सौदे भी कोंच प्रधान मण्डी स्थल के भीतर सरकारी अधिसूचना संख्या–ए–1932/बारह–5–600(399)/81 दिनांक 30 सितम्बर, 1981 में वर्णित केवल विनिर्दिष्ट स्थल पर ही किये जायेंगे।

राज्यपाल अग्रेतर उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904) की धारा 21 के साथ पठित उक्त खण्ड के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उपर्युक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करते हैः–

## संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में कमांक 45 के निम्नलिखित कृषि उत्पादों के पश्चात् नीचे सारणी में, दिये गये कृषि उत्पाद बढ़ा दिये जायेंगे।

## सारणी

46–आलू, 47–प्याज, 48–लहसुन, 49–अरवी, 50–अदरक(हरी), 51–मिर्च, 52–टमाटर, 53–बन्द गोभी, फूल गोभी, 54–गाजर, 55–मूली, 56–बैगन, 57–टिण्डा, 58–लौकी, 59–हरी मटर, 60–परवल, 61–कटहल कच्चा, 62–ककड़ी–खीरा, 63–पेठा, 64–भिण्डी, 65–कद्दू, 66–करेला, 67–तोरई, 68–शकरकन्द, 69–नींबू, 70–नारंगी, 71–मुसम्मी, 72–माल्टा, 73–ग्रेपफ्रूट, 74–केला, 75–अनार, 76–खरबूजा, 77–तरबूज, 78–पपीता, 79–सेब, 80–अमरूद, 81–बेर, 82–ऑवला, 83–लीची, 84–चीकू, 85–आड़ू, 86–लोकाट, 87–आम, 88–कटहल पक्का, 89–खुबानी, 90–नाशपाती, 91–चकोतरा, 92–अंगूर,

आज्ञा से,
(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

संख्या– (1)/80–1–2011तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित दिनांक 06/09/2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 के खण्ड ख में प्रकाशनार्थ । कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियाँ शासन को भेजने का कष्ट करें।
2– जिलाधिकारी, जालौन।
3– निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
4– उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, झाँसी।
5– सभापति/सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति, कोंच(जालौन)

आज्ञा से,
(गया प्रसाद कमल)
उप सचिव।